

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 194/2011 एस0टी0

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. बृजेश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह भदौरिया, उम्र 30  
साल निवासी गढी हरीचा थाना गोरमी।
2. संदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह भदौरिया उम्र 23  
साल निवासी गढी हरीचा थाना गोरमी।

.....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 607/2011 इ0फौ0  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 194/2011

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री जी0एस0गुर्जर अधिवक्ता

---

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 23-12-2015 को घोषित किया गया//

01. अभियुक्त संदीप का विचारण धारा 307 विकल्प में 307/34 भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में एवं आरोपी बृजेश का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 6-5-11 को 12 बजे रात में जैन मंदिर के सामने गोहद चौक में फरियादी कपिल उर्फ कमलेश भदौरिया को कटूटे से फायर ऐसी परिस्थितियों में सआशय या जानबूझकर किया कि यदि आपके उक्त कृत्य से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते इस प्रकार फरियादी कपिल को उपहति कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि इसी दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सह अभियुक्तगण

सन्दीप के साथ मिलकर फरियादी कपिल उर्फ कमलेश भदौरिया की हत्या कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में कार्य करते हुये सआशय या जानबूझकर कट्टे से फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते और इस प्रकार फरियादी कपिल को उपहति कारित की। आरोपी संदीप पर यह भी आरोप है कि दिनांक 19.07.11 को ग्राम गढी में अपने आधिपत्य में 12बोर का कट्टा एवं एक राउण्ड बिना वैध अनुज्ञप्ति रखे हुए पाया गया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कपिल भदौरिया ने थाना आकर रिपोर्ट की कि दिनांक 5-5-11 को वह राज पवैया की बारात में गोहद चौराहा आया था। जैन मन्दिर के सामने बारात खाना खा रही थी तभी सन्दीप एवं बृजेश भदौरिया निवासी हरीचा गढी भी आये थे वह बारात में रंगवाजी कर रहे थे तो मैंने उनसे शान्त रहने को कहा तो वह हाथापाई करने लगे। बृजेश ने सन्दीप से कहा गोली मारदे और संदीप ने कट्टा से जान से मारने की नियत से गोली मारी जिसके छर्रे उसके पेट एवं बाईं तरफ के कन्धे के पास लगे। उसके बाद दोनों मोटरसायकिल छोड़कर भाग गये। घटना सुरेन्द्र सिंह पवैया, रमाशंकर सिंह पवैया एवं मौके पर खड़े और लोगों ने देखी। उक्त आशय की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा दिनांक 6-5-11 को 12 बजे दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 57/11 दर्ज की गई। प्रकरण की विवेचना की गई, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया तथा जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई। आरोपी संदीप के आधिपत्य से एक 12बोर का कट्टा व एक राउण्ड जप्त किया था जिस संबंध में उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। आरोपी के संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी संदीप के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भारतीय दंड विधान एवं धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम का एवं आरोपी बृजेश के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0वि0 का आरोप पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया। उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. धारा 313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तपरीक्षण किये जाने पर आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना एवं अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय हैकि—

1. क्या दिनांक 6-5-11 को 12 बजे रात में जैन मंदिर के सामने गोहद चौक में फरियादी कपित उर्फ कमलेश भदौरिया को कट्टे से फायर ऐसी परिस्थितियों में सआशय या जानबूझकर किया कि यदि आपके उक्त कृत्य से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते और इस प्रकार फरियादी कपित को उपहति कारित की ?
2. क्या दिनांक 6-5-11 को 12 बजे रात में जैन मंदिर के सामने गोहद चौक पर अन्य सह अभियुक्त सन्दीप के साथ मिलकर फरियादी कपिल उर्फ कमलेश भदौरिया की हत्या कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में कार्य करते हुये सआशय या जानबूझकर कट्टे से फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते और इस प्रकार फरियादी कपित को उपहति कारित की ?
3. क्या दिनांक 19.07.2011 को आरोपी संदीप आधिपत्य में एक 12बोर का कट्टा व एक राउण्ड बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाया गया?

—::निष्कर्ष के आधार::—

### बिंदु क्रमांक 1 व 2 -

06. अभियोजन की ओर से साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०1, योगेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा०2, सुरेन्द्र सिंह अ०सा०3, रामशंकरसिंह अ०सा०4, नरेन्द्र सिंह अ०सा०5, महेश शर्मा अ०सा०6, बी०एल०बंसल अ०सा०7, कपिल सिंह भदौरिया अ०सा०8 के कथन कराये गये हैं ।

07. डॉक्टर आलोक शर्मा अ०सा० 1 के अनुसार दिनांक 06.05.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पदस्थ दौरान गोहद चौराहे थाना के आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत कपिलसिंह भदौरिया का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण में आहत को नाभि के दाईं तरफ ऊपर की ओर 0.4 गुणा 0.3 रगड का निशान था एवं बाएं कंधे पर 0.5 गुणा 0.3 से.मी. रगड का निशान का था जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। उक्त चोटों की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। अपने अभिमत में उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त चोट अग्नेयशस्त्र से कारित होना संभव है जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

आहत के एक्सरे परीक्षण में अस्थिभंग होना और कोई बाहरी वस्तु मौजूद होना नहीं पाया था। एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 2 जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत के शरीर पर उपरोक्त बताई गई चोटें मौजूद थीं। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आहत कपिल की हत्या करने का प्रयत्न किया गया? क्या उसकी हत्या के प्रयत्न में उक्त चोटें पहुँचाई गई? क्या सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आहत को उक्त उपहति कारित की गई?

08. घटना के संबंध में घटना के आहत/फरियादी कपित सिंह भदौरिया अ0सा0 8 ने अपने साक्ष्य में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए यह बताया है कि करीब 4 साल पहले की बात है वह गोहद चौराहे पर बारात में आया था, रात के करीब 12 बजे की बात है। बारात में लोग खाना खा रहे थे और वह भी खाना खा रहा था। आरोपी संदीप आकर उससे भिड़ने लगा तो उसने उसको धक्का दिया, उसके बाद वह बाहर आकर खड़ा हो गया, इसी बीच शादी में किसी ने फायर किया, उस फायर की गोली के छर्रे उसके पेट, कंधे के नीचे लगे थे। भीड़ में लोग कह रहे थे कि संदीप ने गोली चलाई है। गोली चलाने वाले को वह नहीं देख पाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उक्त साक्षी के द्वारा जो कि घटना का फरियादी एवं आहत भी है के कथनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके द्वारा पुलिस को दिए गए धारा 161 जा.फौ. के कथन का कोई समर्थन नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि वहाँ पर लोग कह रहे थे कि हुडदंग मचाने वाले लोगों ने ही गोलियाँ चलाई हैं। उसने स्वयं गोली चलाने वाले को नहीं देखा था। उसने जो कपड़े पहने थे उनमें कोई खून नहीं लगा था। उसके शरीर के अंदर कोई गोली भी नहीं थी और शरीर पर पहने हुए कपड़ों में कोई छेद भी नहीं था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 7 के द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है एवं जिनसे अभियोजन के द्वारा उसकी मेडीकल रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 14.05.2011 को क्वेरी कराई गई है। क्वेरी रिपोर्ट में भी उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आहत के शरीर पर मौजूद कपड़ों में कोई खून के निशान या छेद नहीं थे। आहत को आई हुई चोट उसी वक्त आना संभव है जबकि उसके शरीर पर कपड़े मौजूद न हों। चोट कपड़े पहने हुए आना संभव नहीं है। आहत को आई हुई चोट सिर्फ प्रवेश घाँव था और आहत के घाँव में कोई बाहरी कण मौजूद नहीं था जो कि इस संबंध में फरियादी को दिया गया उपरोक्त सुझाव से भी समर्थित है।

09. अभियोजन के द्वारा अन्य बताए गए चक्षुदर्शी साक्षी सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 3, रामशंकर सिंह अ0सा0 4 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने का कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार चक्षुदर्शी बताए गए साक्षियों के कथनों से भी इस संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

10. साक्षी बी.एल.बंसल अ0सा0 7 जिनके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी कपिल उर्फ कमलेश के बताए अनुसार लेखबद्ध करनी, रिपोर्ट प्र.पी. 11 उनके द्वारा लिखा जाना और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया गया है तथा शीलबंद पोटली और शील नमूना की जप्ती क जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 तैयार करना, घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 13 बनाना तथा फरियादी कपिल और रामशंकर के कथन लेखबद्ध करना बताया है, किन्तु मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं प्रकरण के उक्त विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में फरियादी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल घटना के संबंध में सूचना होती है, मात्र उसके आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है, उसका उपयोग केवल विरोधाभास एवं विसंगतियों को प्रमाणित करने के लिए होता है, वह कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है।

11. इस प्रकार घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा फरियादी कपिल की हत्या करने का प्रयत्न करना एवं इस दौरान उस पर फायर आर्म्स से फायर करने का तथ्य आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

### **बिन्दु क्रमांक 3—**

12. अभियोजन साक्षी महेश शर्मा अ0सा0 6 तत्कालीन थाना प्रभारी थाना गोहद चौराहा के द्वारा दिनांक 19.07.2011 को आरोपी संदीप भदौरिया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7 बनाया था एवं आरोपी से पूछताछ की गई थी जिसमें कि उसने अपने घर के ऊपर बने बंगला (मडैया) में कट्टा व राउण्ड छिपाकर रखा होना मेमोरेडम कथन प्र.पी. 8 में बताया था जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के आधार

पर गवाहों के समक्ष आरोपी संदीप से एक कट्टा 12 बोर का और एक जिंदा राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 9 तैयार करना और जप्तशुदा वस्तु जॉच हेतु एफ.एस.एल भेजना बताया है। साक्षी शर्मा अ0सा0 6 जिनके द्वारा कि आरोपी संदीप भदौरिया से कट्टा की जप्ती की जानी बताई जा रही है के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथन का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रकरण में जो साक्षी नरेन्द्र है वह नगर सेना का था और गोहद चौराहे पर ही पदस्थ था। आरोपी संदीप के घर की स्थिति और उसके दरवाजे आदि के संबंध में भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया है। इस प्रकार साक्षी महेश शर्मा अ0सा0 6 के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों के परिप्रेक्ष्य में मात्र उनके कथन पर विश्वास करते हुए आरोपी के आधिपत्य से कट्टे की बरामदगी का तथ्य प्रमाणित माना जाना कदापि सुरक्षित नहीं है।

13. जप्ती के संबंध में नरेन्द्र अ0सा0 5 जो कि घटना के समय नगर सैनिक के पद पर थाना गोहद चौराहे में पदस्थ था के द्वारा आरोपी के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके बताए अनुसार 12बोर का कट्टा और राउण्ड जप्त करना बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि कट्टा मडैया में से निकालकर दिया था तथा यह बता रहा है कि वह बाहर खड़ा रहा था अंदर दरोगा जी गए थे और यह भी कह रहा है कि कट्टा कहाँ से निकालकर दिया था यह उसे नहीं मालूम, क्योंकि वह मडैया के अंदर नहीं गया था। कट्टा किस वस्तु में छिपाकर रखा गया था उसे नहीं मालूम। साक्षी इस बात को भी स्वीकार किया है कि वह गोहद चौराहे पर सैनिक था। ऐसी दशा में साक्षी नरेन्द्रसिंह के कथन के आधार पर जो कि जप्ती के समय न तो उस स्थान पर गया था जहाँ कि आरोपी के द्वारा कथित रूप से अग्नेयशस्त्र निकालकर दिया जाना बताया जा रहा है और न ही उसे यह पता कि वह कहाँ छिपाकर रखा गया था। उक्त साक्षी के कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही की कदापि सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि मेमोरेडम एवं जप्ती के संबंध में जप्ती के अन्य साक्षी भूरेसिंह उर्फ दिग्विजय के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं। ऐसी दशा में आरोपी संदीप के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके आधिपत्य से अग्नेयशस्त्र कट्टा 12 बोर की जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

14. इस संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी 1 के अनुसार परीक्षण हेतु भेजे गए पिस्तौल 12बोर का होना तथा कारतूस जीवित होना बताया गया है, किन्तु मात्र परीक्षण रिपोर्ट में आए उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर जबकि आरोपी के आधिपत्य से जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं है मात्र परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त तथ्य

की सम्पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 2 आर्म्स क्लर्क जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड जिन्होंने कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अपने कथन में बताया है कि अभियोजन स्वीकृति पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर स्वयं के लघु हस्ताक्षर होना बताया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अभियोजन चलाए जाने हेतु कोई स्वीकृति प्रदान की गई भी है तो जबकि आरोपी के आधिपत्य से जप्ती का कोई तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है। मात्र अभियोजन स्वीकृति के आधार पर आपराध की प्रमाणिकता आरोपी के विरुद्ध सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

15. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी संदीप को भा०द०वि० की धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के आरोप से एवं आरोपी ब्रजेश को भा०द०वि० की धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा०द०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. प्रकरण में जप्तशुदा बताए गए 12बोर के कट्टे व एक राउण्ड उचित निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को अपील अवधि पश्चात् भेजा जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड